उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे०मि० (पी०ए०) वाद सं० 12/2021–22

सुनील मुर्मू...अपीलकर्त्ता।

बनाम

स्वीटी मुर्मू...उत्तरकारी।

आदेश

24.12.2021

यह रे०मि० (पी०ए०) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी०ए० वाद सं०–51/2019–20 में पारित आदेश दिनांक–07.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा सरसरिया के अंतिम प्रधान देना मुर्मू थे। उनका कोई पुत्र नहीं है, बल्कि उन्हें एक मात्र पुत्री स्वीटी मुर्मू है, जिनकी शादी साधारण रूप से सिउलीबोना गॉव में हुई है जो मौजा सरसरिया गॉव से 70 किलोमीटर दूर पर है। उत्तरकारी वहीं अपने पति के गॉव में रहती है। पूर्व प्रधान देना मुर्मू के मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी मखोदी मरांडी द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में दाखिल की गई थी। किन्तु उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। मखोदी मरांडी की मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्त्ता द्वारा अंतिम प्रधान के उत्तराधिकारी होने के नाते संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तरकारी की शादी साधारण रूप से हुई है। वह अपने ससुराल में रहती है जो मौजा सरसरिया से 70 कि०मी० दूर है। आदिवासी नियम के अनुसार

साधारण रूप में शादी की गई पुत्री को उत्तराधिकारी रूप में नहीं माना जाता है। उनके पिता के मृत्यु के पश्चात् उनकी शादी को "आगुमित घरजमाई" के रूप में शपथ–पत्र बनवाया गया उनके द्वारा मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–05 के अन्तर्गत दायर की गई किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा उन्हें संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जबकि उन्हें 16 आना रैयतों का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। अतः इसे विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरकारी पूर्व प्रधान के एक मात्र वारिशान है। उनकी शादी घरजमाई के रूप में हुई है एवं मौजा में ही निवास करती है। उन्हें मौजा के 16 आना रैयतों का भी समर्थन प्राप्त है। इस न्यायालय में भी 16 आना रैयतों का समर्थन आवेदन दाखिल जिसमें 49 रैयतों का हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है।

संथाल परगना कास्ताकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत उत्तराधिकारी के हैसयित से मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है तथा संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के सिउड्ल–V के अनुसार प्रधान को अपने मौजा में अथवा स्थाई निवास स्थान से 01 मील की दूरी रहना है जो निम्न प्रकार उदृत है :–

The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व प्रधान का एक मात्र वारिशान उत्तरकारी है, जिसकी शादी "आगुमित घरजमाई" के रूप में हुई है, किन्तु अपीलकर्त्ता का कहना है कि वह अपने ससुराल सिउलीबोना जो प्रधानी मौजा से 70 किलोमीटर दूर पर है, में निवास करती है। ऐसी स्थिति में उत्तरकारी का निवास के संबंध में जॉचकर ही प्रधान की नियुक्ति किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलकर्त्ता का आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस आदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उत्तरकारी के निवास के संबंध में जॉचकर मौजा का प्रधान पद पर नियमानुसार नियुक्ति की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

31/1/22
उपायुक्त,
दुमका।

31/1/22
उपायुक्त,
दुमका।

29 BBdl-31-1-22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:03:39 +05:30
Location: 169.254.227.244